

५) ॥ ५

सर्व पक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय में कोई वाद
अपेक्षित लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं
आया। अतः वादपत्र / प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फौसला शुमार न. से कम की जाफर
दाखिल दफ्तर हो।

✓